न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 2017 (राजसमन्द आर्डर)

चेनसिंह पिता धन्नासिंह जी, जाति रावत, निवासी हथूण (कनातों का बाडिया), तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती जडाव देवी पुत्री सुवा जी पत्नी भोमा जी, जाति मेहरात, निवासी रूदलाई, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती फुंदी पुत्री सुवा जी पत्नी किशना जी, जाति मेहरात, निवासी कुमपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज.)
3. उप पंजीयक अधिकारी, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीम दि0
14.06.2017 प्रकरण संख्या 4 / 2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 04–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हथुण में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित भूमियां स्थित हैं, जिसके साबिक आराजी नंबर 580 मी. 591 व 592 थे। यह आराजियात सुआ जी के खातेदारी की होकर प्रार्थीया सुआ जी की पुत्रियां हैं। सुआ जी फोत होकर उनके चार पुत्र भीमा, करमा, धन्ना, अणदा व दो प्रार्थीया फुंदी व जडाव हैं। भीमा, करमा, धन्ना व अणदा फोत हो चुके हैं

तथा धन्ना की वारिस सुगरा व पुपड़ी हुई, जिसमें से पपुडी फोत हो चुके है, जिसके वारिस सेना, हमीदा, शहाबुद्दीन व दिलीप हैं। इस प्रकार सुआ के प्रत्येक वारिस प्रार्थीगण एवं भीमा, करमा, धन्ना व अणदा का समान हक होकर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। भीमा, करमा व अणदा के लाऔलाद फोत हो जाने से सुआ के शेष वारिस प्रार्थीगण व भीमा के वारिसान प्रत्येक का 1/3 हिस्सा विवादित भूमियों में है। सुआ की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के भाईयों ने बालाबाला राजस्व अभिलेखों में केवल भाईयों के नाम का अंकन करवा दिया, जबकि प्रार्थीगण पुत्रियां होने से उनका भी समान हक अधिकार है। उक्त भूमियों में 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा धन्ना के वारिसान है, इससे अधिक विक्रय करने का उन्हें अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई विक्रय किया जाता है तो वह प्रारम्भ से प्रभाव शून्य होकर प्रार्थीगण के मुकाबले बेअसर है। अतएवं विपक्षी संख्या 1 को विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा नहीं करने एवं विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज होने के बाद दिनांक 03–03–2017 की पेशी नियत की गयी, परन्तु इसके बाद की 2 पेशियां पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर रहने से आगामी तारीख पेश दिनांक 14–06–2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखा गया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट/विपक्षी को नहीं दी गयी है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है।

अधिनस्थ न्यायालय को उक्त निर्णय दिनांक दिनांक 14–06–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ चूंकि प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट/विपक्षी को दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतएवं व्यक्त कारणों, अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने की उसे कोई सूचना उन्हें नहीं दी गयी, न ही पक्षकारों की सहमति है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 शादी शुदा होकर अपनी ससुराल में रहती हैं तथा उनका कोई कब्जा नहीं होकर कब्जा अपीलान्ट का है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षी को बिना सुने व बिना सूचित किये निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि जहां तक आराजी नंबर 1163 से 1168 का प्रश्न है, यह आराजियात अपीलान्ट द्वारा रेकार्डेड खातेदार से क्रय किये जाने का नोट जमाबन्दी संवत् 2072 में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा भूमियां सुआ जी के समय की चली आने के सन्दर्भ में मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है, जिसमें भी आराजी नंबर 1163 से 1168 सुआ के समय से चली आना स्पष्ट नहीं है। हालांकि की आराजी नंबर 1163 से 1168 पूर्व में बिलानाम होने के बाद भीमा, करमा, धन्ना व अणदा पिता सुआ के नाम दर्ज हुई हैं, जिससे यह आंकलन नहीं किया जा सकता कि विवादित आराजी नंबर 1163 से 1168 सुआ के समय से चली आ रही हों। जहां तक आराजी नंबर 1170 व 1171 का प्रश्न है, यह भूमियां

सुआ वल्द गेना के समय से चली आना मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। तद्नुसार यह स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 1163 से 1168 बाबत् रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का कोई स्वत्व नहीं है, न ही उक्त भूमियां उनके कब्जे में माने जाने का कोई आधार है। प्रकरण में आराजी नंबर 1170 व 1171 सुआ के समय से चली आने से इन भूमियों में रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का हक होना माना जा सकता है, हालांकि कब्जे बाबत् इस स्तर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर आराजी नंबर 1163 से 1168 बाबत् जो स्थगन दिया है वह प्रथम दृष्टया औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–06–2017 आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर आराजी नंबर 1163 से 1168 बाबत् दिये गये स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है तथा आराजी नंबर 1170 व 1171 बाबत् अपीलान्ट को विवादित आराजियात विक्रय हस्तान्तरण, यदि उनके नाम भूमि दर्ज है, तो नहीं किये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर